

State Bank of India Muzaffar

अनुसूची २१ - प्रपत्र संख्या ११३।

प्रमाण-पत्र, सं०

2309 संपत्ति-अवधार-प्रमाणपत्र

23340/17

चौकि श्री

M/S Samrat Vijay Construction Pvt

आवेदन सं० २०

Ltd through Direct. Arjun Singh

ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में

2709

2.8.17

निम्नलिखित संव्यवहारों और अवधारों का संविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय, (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में कहीं १ में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 1.1.1988 २० से ता० 28.2.२० 17 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चला है :-

24479

31.7.17

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
१	२	३	४	५	६	७	८	९
Muzra	Majhauri		Khata	Kherm	Arjun			
PS	Sadar		41	316				
			46	317				
	Thana No 333		255	318	1 Acre 8 Annas			
	Dist Muzaffarpur		53	319				
			54 9	332				
			195	335 9				
				336				

Mortgage Deed No 13918 Book I
Date 4.7.2014 रजिस्ट्रार- 14832/2014
प्रेजन. 90.10.09 (16/30/2014 M/S
Samrat-Vijay Construction Pvt Ltd
Through Directors- Arjun Singh द्वारा
State Bank of India के 43 के निदेश पर
दि 4/

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) १। बंधक-पत्र की दशा में, ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें।

बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

२। पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक कमान दर्ज करें।

(२)

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त संव्यवहारों अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार को पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :- *Sham*

(पदनाम) :- *101*

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :- *anty — mb*

(पदनाम) :- *101*

कार्यालय *bmsh*

तारीख 2.8.17



निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

15.8 2.8.17

टिप्पणी:- (१) इस प्रमाण पत्र में जो व्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निर्बंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल नहीं किये जायेंगे।

(२) निबन्धन अधिनियम के धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु, चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी, विधान प्रमाण पत्र दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और, चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूँडे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूँडे गये संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा जिससे उच्च सम्पत्ति पर प्रमाण पड़ता हो।